

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उम्मत एवं अस्तित्व कुलत्तेव जीवाजी
विश्वविद्यालय के सभा ही है जिसके नाम
में विद्या अन्न प्राप्तिकर्ता के नाम है।
गवालियर विश्व एवं आठ दूसरे ने यह
विद्यालय कुलत्ता ही है इसके पास
विद्यालय के नाम रखा गया है।



फॉर्म : फॉर्म १०६
दृष्टिकोण : (०७५१) २३४१९९६
(०७५१) २३४२०२९
फैक्टरी : (०७५१) २३४१७६०

प्रेषक :
कुलत्तेव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
प्रमाण-एकान्तमुक्ता: २०१२/ ५८७

दिनांक: २१/१२/०१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, व्यालियर से सम्बद्ध शासकीय कल्यान महाविद्यालय, ग्वालियर को द्वारा २०१२-१३ के लिए प्रस्तावित तांत्रिक एम.एड-टी. उत्तरार्थ (राज्यव, माहाकालगांडोंगी, बृहपिञ्चाल (प्रिसार एवं संचार), पाठ्यक्रम कला/प्राचीनकालों विषयों की उपचारीय उपचारका देख अनुसंधाने प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति नहोन्दुव/स्थानीय संग्रहीत, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वे विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के परिवेदन २७(१०) के अन्तर्गत विभागाद्वारा विरीक्षा
समिति का गठन किया है। -

(१) प्रौ. हाजीय जैन, आवार्य, रसायन विज्ञानशाला, जी.वि.वि. व्यालियर।

(संयोजक)

(०७५१-२४४२२७६६)

(२) प्रौ. अरिजना देवारी आवार्य, वानिक्यातिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि. व्यालियर।

(३) डॉ. शीरजा जैन, शासकीय को-आर.जी. वॉर्केज, ग्वालियर।

(४) प्रौ. डॉ. एज. गोरखगांवी, अधिकारी, महाविद्यालयीक विकास परिषद् जी.वि.वि. व्यालियर।

विरीक्षा समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन २७/२८ के प्राप्तवार्तों के अनुसन्धान का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर भुलक, धरोहर राशी, वार्षिक वैशिष्ट्यात्मकात्मकात्मक संग्रह, प्राधिकृत संस्था से ग्रात अनुसारी/अनुसारी प्रगति-पथ, अवन, क्रीड़ा गतिशील एवं प्रात्यक्षम/अधिकारी तथा प्रिक्टर सभा गीर्ह सर्वों की पूर्ण सब प्रकार एवं के तथा ग्रावार्य/वैशिष्ट्यक एवं अधीकारिक स्ट्रोक वाले विद्युदित्तों का प्रयोग एवं वेतन आदि के बारे में सावध विवरण/अनुसाराएं अपील करें। नहाविद्यालय प्रावार्य/अध्यक्ष लूपग्रा पत्र प्राप्त होने के ३० दिवस के अन्दर विरीक्षा समिति सम्बोधित एवं सदस्यों से उम्मती त्वापित कर विरीक्षा करें। समिति संयोजक द्वे विवेदन हैं कि वे अक्ष विरीक्षण समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन ०७ दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा होने का उत्तराधित विरीक्षण समिति / संयोजक का ठोना।

समिति नवज का प्रत प्राप्त होने के बाद विरीक्षण गी की गई देखी के लिए ग्राविद्यालय एवं अनुसारी होम्या। विकासी कृष्णा आर्यो, नवज विषया, भोपाल को शोज दी जावेगा। यही अनुविद्यालय ०३ नाम में विरीक्षण नवज कराता है तो समिति नवज विरीक्षण हो जावेगी और तुम्ह विवरण उपर्युक्त ग्रात देख नहाविद्यालय को दण्ड व्यवहार २५,०००/- रुपया दावते होंगे। नवविद्यालय एवं विरीक्षण समिति का पुर्वग्रन्थ किया जावेगा। परिवेदन २७(११)(७) के अनुसार उन्नतान्तर प्राप्त विवरण जारी करे परिवेदन देख अवधारिक है।

विरीक्षण समिति के लाव उन्नतान्तर प्राप्त एवं अधीकारी / कार्यालय ग्रावार्य/वैशिष्ट्यक एवं नवविद्यालय की व्यवस्थिति के विवेदन समिति को अनुकूल कराने के लिए विवरण १५ दिवस के अन्वर करने की व्यवस्था करें।

कुलपति

प्रतिलिपि :-

१. सम्बत सदस्यों की ओर सुवनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही होतु।
२. प्रावार्य/अध्यक्ष, संवैधानिक महाविद्यालय को ओर शोजकर आवाहत है कि समिति के संयोजक से सपर्क स्वार्गीत कर विरीक्षण दिवाक विवरित तथा नवविद्यालय जा जावेगा। उक्त विरीक्षण १५ दिवस के अन्वर करने की व्यवस्था करें।
३. अनुप्रत उच्च विषया, उत्तरार्थ भगव, भोपाल
४. कुलपति विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
५. कुलपति के शाविष / कुलत्तेव के विजी उपायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलपति (उन्नतान्तर)